छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–05/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 17/04/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.034 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–900A/417, दिनांक 24.02.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	बंजारी	आरक्षित वनभूमि	RF 65	3140	0.50	0.157
2		कवर्धा	कवर्धा	बंजारी	आरक्षित वनभूमि	RF 64	1040	0.50	0.052
3		कवर्धा	कवर्धा	बंजारी	आरक्षित वनभूमि	RF 63	1640	0.50	0.082
4		कवर्धा	कवर्धा	बंजारी	आरक्षित वनभूमि	RF 62	3080	0.50	0.154
5		कवर्धा	रेंगाखार	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 125	2080	0.50	0.104
6		कवर्धा	रेंगाखार	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 124	2900	0.50	0.145
7		कवर्धा	खारा	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 112	3060	0.50	0.153
8		कवर्धा	रेंगाखार	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 139	1220	0.50	0.061
9		कवर्धा	रेंगाखार	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 128	2440	0.50	0.122
10		कवर्धा	रेंगाखार	मुड़वाही	आरक्षित वनभूमि	RF 138	1260	0.50	0.063

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
11	कबीरधाम	कवर्धा	रेंगाखार	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 137	4020	0.50	0.201
12		कवर्धा	रेंगाखार	रेंगाखार	आरक्षित वनभूमि	RF 135	2380	0.50	0.119
13		कवर्धा	तरेगांव	दलदली	आरक्षित वनभूमि	RF 23	1640	0.50	0.082
14		कवर्धा	तरेगांव	दलदली	आरक्षित वनभूमि	RF 27	220	0.50	0.011
15		कवर्धा	तरेगांव	दलदली	आरक्षित वनभूमि	RF 25	620	0.50	0.031
16		कवर्धा	तरेगांव	दलदली	आरक्षित वनभूमि	RF 28	2420	0.50	0.121
आरक्षित वनभूमि का योग							**33160**	**0.50**	**1.658**
17	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	बोडला	संरक्षित वनभूमि	PF 315	1780	0.50	0.089
18		कवर्धा	कवर्धा	चौरभट्टी	संरक्षित वनभूमि	PF 313	620	0.50	0.031
19		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	कमराखोल	संरक्षित वनभूमि	FDC 1405	2700	0.50	0.135
20		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	कमराखोल	संरक्षित वनभूमि	FDC 1397	720	0.50	0.036
21		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 446	940	0.50	0.047
22		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 447	600	0.50	0.030
23		कवर्धा	कवर्धा	माचापानी पार्ट	संरक्षित वनभूमि	PF 310	1360	0.50	0.068
24		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 445	140	0.50	0.007
25		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 454	4280	0.50	0.214
26		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 458	4120	0.50	0.206
27		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 467	1580	0.50	0.079
28		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 466	2200	0.50	0.110
29		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 452	2840	0.50	0.142
30		कवर्धा	पंडरिया वेस्ट	नेऊर	संरक्षित वनभूमि	PF 453	800	0.50	0.040
31		कवर्धा	रेंगाखार	बरेंडीपानी	संरक्षित वनभूमि	PF 342	2520	0.50	0.126
32		कवर्धा	रेंगाखार	रोल	संरक्षित वनभूमि	PF 353	1660	0.50	0.083
33		कवर्धा	लोहारा	बानो	संरक्षित वनभूमि	PF 301	500	0.50	0.025
34		कवर्धा	लोहारा	घटोला दक्षिण	संरक्षित वनभूमि	PF 203	2320	0.50	0.116
35		कवर्धा	लोहारा	मोहनपुर	संरक्षित वनभूमि	PF 298	2120	0.50	0.106
36		कवर्धा	लोहारा	तेलीपारा	संरक्षित वनभूमि	PF 265	700	0.50	0.035
37		कवर्धा	खारा	तेलीपारा	संरक्षित वनभूमि	PF 264	1020	0.50	0.051
38		कवर्धा	खारा	घटोला दक्षिण	संरक्षित वनभूमि	PF 192	2100	0.50	0.105
39		कवर्धा	खारा	सहसपुर लोहारा	संरक्षित वनभूमि	PF 244	760	0.50	0.038
40		कवर्धा	खारा	सहसपुर लोहारा	संरक्षित वनभूमि	PF 245	3360	0.50	0.168

Rajiv L

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
41	कबीरधाम	कवर्धा	खारा	सहसपुर लोहारा	संरक्षित वनभूमि	PF 193	1480	0.50	0.074
42		कवर्धा	खारा	लावा पार्ट	संरक्षित वनभूमि	PF 179	1900	0.50	0.095
43		कवर्धा	रेंगाखार	रामपुर	संरक्षित वनभूमि	PF 364	3700	0.50	0.185
44		कवर्धा	खारा	मोहनटोला पार्ट	संरक्षित वनभूमि	PF 176	960	0.50	0.048
45		कवर्धा	खारा	उसरवाही	संरक्षित वनभूमि	PF 173	360	0.50	0.018
46		कवर्धा	लोहारा	मोतिमपुर	संरक्षित वनभूमि	PF 291	2020	0.50	0.101
47		कवर्धा	लोहारा	नवागांव	संरक्षित वनभूमि	PF 267	440	0.50	0.022
48		कवर्धा	लोहारा	जुनवानी	संरक्षित वनभूमि	PF 266	1020	0.50	0.051
49		कवर्धा	लोहारा	घटोला दक्षिण	संरक्षित वनभूमि	PF 189	840	0.50	0.042
50		कवर्धा	लोहारा	सोनझरी	संरक्षित वनभूमि	PF 277	600	0.50	0.030
51		कवर्धा	लोहारा	रानीदहरा	संरक्षित वनभूमि	PF 283	600	0.50	0.030
52		कवर्धा	तरेगांव	लिलारी	संरक्षित वनभूमि	PF 401	720	0.50	0.036
53		कवर्धा	तरेगांव	लब्दा	संरक्षित वनभूमि	FDC 412	420	0.50	0.021
54		कवर्धा	तरेगांव	लब्दा	संरक्षित वनभूमि	FDC 414	2660	0.50	0.133
55		कवर्धा	तरेगांव	लब्दा	संरक्षित वनभूमि	PF 416	240	0.50	0.012
संरक्षित वनभूमि का योग							**59700**	**0.50**	**2.985**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हें)
1	कबीरधाम	कवर्धा	पंडरिया	सगौना	राजस्व वनभूमि	228	40	0.50	0.002
2	कबीरधाम	कवर्धा	पंडरिया	सगौना	राजस्व वनभूमि	254	320	0.50	0.016
3	कबीरधाम	कवर्धा	पंडरिया	अमेरा	राजस्व वनभूमि	179/1क	240	0.50	0.012
4	कबीरधाम	कवर्धा	पंडरिया	अमेरा	राजस्व वनभूमि	1/1	940	0.50	0.047
5	कबीरधाम	कवर्धा	पंडरिया	नेऊर	राजस्व वनभूमि	352/1/क	820	0.50	0.041
6	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	बैरख	राजस्व वनभूमि	182	120	0.50	0.006
7	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	मोहनपुर	राजस्व वनभूमि	49	220	0.50	0.011
8	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	तेलीटोला	राजस्व वनभूमि	1/1	1160	0.50	0.058
9	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	नेवासपुर	राजस्व वनभूमि	163	320	0.50	0.016
10	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	बहेराखार	राजस्व वनभूमि	23/1	220	0.50	0.011
11	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	सिंघनपुरी	राजस्व वनभूमि	23	80	0.50	0.004
12	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	बाम्हनतरा	राजस्व वनभूमि	2	840	0.50	0.042
13	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	मुकम	राजस्व वनभूमि	1	1540	0.50	0.077
14	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	साजाटोला	राजस्व वनभूमि	1	960	0.50	0.048
राजस्व वनभूमि का योग							**7820**	**0.50**	**0.391**
कुल योग							**100680 (100.68 K.M.)**	**0.50**	**5.034**

क्रमशः 4

उक्त 100.68 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 5.034 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.658 हे. संरक्षित वन भूमि 2.985 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.391 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

क्रमशः 5

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

KRajput
18.4.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–05/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/04/2023

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
3.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4.वनमंडलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल, कवर्धा, छत्तीसगढ़।
5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

KRajput

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

06